न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या...27.../2021

सरकार बनाम तहसीलदार शाहपुरा
अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 8.12.2021

तहसीलदार शाहपुरा के प्रार्थना पत्र क्रमांक आरए/21/ 205 दिनांक 8.12.2021 के संलग्न निम्नांकित प्रकरणों में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम सिवायक भूमि मे से व नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित भूमि पर मौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण प्रेषित किया है, तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से आम रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0 भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्रामो की सिवायचक भूमि में से (मुताबिक एनक्सर–1 व नजरी नक्शा ट्रेस) अनुसार किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन की जावे।

क0सं0	नाम राजस्व ग्राम	ख0नं0	कुल रकबा	किस्म	रास्ते/सड़क दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा	वि0वि0
1	पीपलोद नाथू	516	2.35 है.	बंजड पूला	0.12 है.	
2	पीपलोद नाथू	517	0.56 है.	बंजड पूला	0.13 है.	

(मन मोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

कमांक/प्र0गा0के0सं0/अमि0/2021/ 1085 दिनांक 8/12/21

प्रतिलिपिः– तहसीलदार शाहपुरा को दी जाकर लेख हैं कि निर्णय के अनुसार नक्शा ट्रेस में रास्ते का अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(मन मोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

8/12/21